मनरेगा बिन्दु : दृष्टिपत्र 2018

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क्र.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
1	मिट्टी और भूमि के उपयोग, जलग्रहण क्षेत्र का विकास, खेती की पद्धतियों, कृषि संसाधन की सूचना और फसल मौसम की निगरानी के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली/रिमोट सेंसिंग (GIS/RS) आधारित प्रणाली को आरम्भ किया जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.1.2.3	मिट्टी और भूमि के उपयोग, जलग्रहण क्षेत्र का विकास हेतु भूमि शिल्प उपयोजना एवं मनरेगा वाटर शेड विकास के निर्देश हैं।	
2	बंजर और नदी घाटी भूमि का चारा उत्पादन के लिये विकास, किसान के खेतों पर भूमि सुधार के लिये खेत पर ही प्रयोग करने की पहल।	गोचर भूमियों को चारा बैंक में बदलने का महाअभियान। इस हेतु मध्यप्रदेश गोचर भूमि विकास बोर्ड।	अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.1.A.2	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग 2d में सूखा रोधन के तहत चारागाह विकास का प्रावधान है।	
3	मेढ़ बंधान और जल निकासी नालियों के रख–रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.2.1	मनरेगा के भूमि शिल्प उपयोजना के तहत मेढ बंधान के निर्देश पूर्व से लागू है। **जल निकासी नालियों के रख–रखाव का कार्य भी मनरेगा के तहत कराया जा सकता है। इस हेतु कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से समन्वय कर निर्देश तैयार किये जाना प्रस्तावित है।**	
4	बंजर भूमि को परिवर्तित करने और उस पर खेती करने के लिये, विशेष रूप से राज्य के उत्तर और उत्तर–पश्चिमी भागों में एक ठोस रणनीति का कार्यान्वयन		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.2.3	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग भूमि विकास 6b के तहत बंजर भूमि के विकास का प्रावधान है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
5	निजी स्वामित्व वाली पड़त भूमि को खेती योग्य बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का कार्यान्वयन		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.2.4	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग भूमि विकास 4m के तहत निजी स्वामित्व की पडत भूमि को आस–पास के तालाबों की गाद से कव्हर कर खेती योग्य बनाये जाने का प्रावधान है।	
6	एक–फसली भूमि को दो–फसली को तीन–फसली बनाने के उद्देश्य से योजनाओं की पहल	पट्टाधारियों की पंचायत बुलाकर उनकी समस्याओं के संदर्भ में निर्णय लिये जायेंगे, और उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा जायेगा।	अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.2.5	मनरेगा योजना का क्रियान्वयन एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन INRM Approach के तहत किये जाने के निर्देश है। जिसके तहत एक–फसली भूमि को दो–फसली को तीन–फसली बनाने के उद्देश्य से ही योजना के क्रियान्वयन हेतु शेल्फ आफ प्रोजेक्ट अर्थात् वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाती है।	किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के समन्वय से इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित।
7	बीहडों, विशेष रूप से चम्बल के बीहडों को विकसित करने के लिये विशेष कार्यक्रम		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.A.2.6	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग भूमि विकास 6b के तहत बंजर भूमि के विकास का प्रावधान है।	कमिश्नर चम्बल संभाग की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग एवं किसान कल्याण व क्षेत्र में निवासरत वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों का टास्क फोर्स बनाकर चम्बल के बीहडों को विकसित करने का विशेष कार्यक्रम बनाया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
8	प्रति वर्ष 2 लाख हेक्टे. अति. क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार	प्रति वर्ष समस्त सिंचाई सुविधा में 10 प्रतिशत की वृद्धि।	अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.B.1.1	मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत निजी स्वामित्व की 1 एकड तक भूमि में पात्र वर्ग के हितग्राहियो को सिंचाई सुविधा हेतु कूप निर्माण, लघु तालाब, खेत तालाब बनाये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सिंचाई हेतु छोटे तालाब, स्टाप डेम भी योजना के तहत बनाये जाते है।	नदी नालों पर श्रृखंलाबद्ध स्टाप डेम भी बनाये जाने की निर्देश योजना के तहत जारी किये गये है। परन्तु योजना के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 जनपद स्तर पर संधारित की जाने की बाध्यता है। जबकि स्टाप डेम निर्माण में यह अनुपात 20 : 80 आता है। अतः कृषि एवं जल संसाधन विभाग के समन्वय व अभिसरण के तहत सामग्री मद में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कर इस कार्य को वृहद पैमाने पर किया जाना प्रस्तावित है।
9	रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भू–जल पुनर्भरण को जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.B.1.6	मनरेगा के निर्देशों के तहत जल सरंक्षण एवं जल संवर्धन कार्य संवर्ग के अंतर्गत कन्टूर ट्रेंच बोल्डर चेक, तालाब परकोलेशन तालाब, मिट्टी के बांध, स्टाप डेम, स्प्रिंग शेड विकास आदि के कार्य कराये जाने का प्रावधान है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
10	कुल 5 लाख हेक्टे. क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क. 1.B.1.7	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग सिंचाई सुविधा 4a के तहत निजी स्वामित्व भूमि वाटर कोर्स फील्ड चैनल का प्रावधान है। इस हेतु सहस्त्र धारा उपयोजना के निर्देश लागू है।	जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के समन्वय से लाइनिंग सामग्री का अभिसरण कर इस कार्य को गति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
11	कृषि जल प्रयोग की दक्षता में 10 % की वृद्धि की जायेगी।	प्रति वर्ष समस्त सिंचाई सुविधा में 10 प्रतिशत की वृद्धि।	अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क. 1.B.2.2	कपिलधारा कूप के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु कृषि/उद्यानिकी विभाग में प्रचलित योजनाओं से प्राथमिकता देकर स्प्रिक्लर सेट दिलाया जाना प्रस्तावित है। कपिलधारा कूपों की वृहद संख्या को देखते हुये संबंधित विभागों का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।	
12	WALMI और संबंधित संस्थाओं को सशक्त कर संस्थागत प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क. 1.B.2.6	मनरेगा क्रियान्वयन में संलग्न ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, जल उपभोक्ता संथा, नरेगा का मैदानी अमला व विभिन्न शासकीय विभागों के अमला, सतत् रूप से प्रशिक्षण दिये जाने हेतु वाल्मी व संबंधित संस्थाओं को सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, किसान कल्याण और कृषि/उद्यानिकी विभाग के समन्वय से वित्तीय व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।
13	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पहल के तहत नर्मदा जल के माध्यम से नदियों और भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाएगा। इससे 6 लाख हेक्टे. क्षेत्र को लाभ होगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क. 1.B.3.2	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नदियों और भूमिगत जल को रिचार्ज किये जाने हेतु तैयार की जाने वाली कार्ययोजना में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना में अनुमत कार्य कराये जा सकते है।	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य योजना तैयार किये जाने में मनरेगा के अधिकारियों का सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
14	किसानों को उनके द्वार पर गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिये 100 नर्सरियों का सशक्तिकरण किया जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क. 1.C.1.3	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग सूखा रोधन 2a के तहत सामुदायिक एवं निजी स्वामित्व की भूमि पर नर्सरी तैयार किये जाने का कार्य प्रावधानित है।	
15	एक भोपाल–इन्दौर उद्यानिकी गलियारा विकसित किया जायेगा। साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ, छिन्दवाडा और छतरपुर के आस–पास भी उद्यानिकी समूह विकसित किये जायेगें।	भोपाल–इंदौर के बीच उद्यानिकी गलियारा विकसित किया जावेगा तथा जबलपुर, छिन्दवाडा, धार, झाबुआ एवं रतलाम क्षेत्रों में उद्यानिकी समूह की स्थापना की जावेगी।	अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क. 1.C.2.3	भोपाल–इन्दौर उद्यानिकी गलियारा एवं जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ, छिन्दवाडा और छतरपुर के आस–पास भी उद्यानिकी समूह विकसित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राही वर्ग **(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इंदिरा आवास के लाभार्थी, भूमि सुधार के लाभार्थी, लघु व सीमान्त कृषक, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत हक प्रमाण–पत्र धारक)** को नवीन निर्देशों में कार्य संवर्ग 4e 4f 4g के तहत उनकी निजी भूमि पर फलोद्यान विकसित करने का प्रावधान है।	भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप फलो की प्रजाति का चयन, उद्यान विकास हेतु तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विशिष्ट तकनीक से महाराष्ट्र, गुजरात एवं उत्तरप्रदेश में विकसित किये गये फलोद्यान की एक्सपोजर विजिट कराये जाने हेतु उद्यानिकी विभाग के राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कार्यक्रम के तहत सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है।
16	उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर प्रबंन्धन की सुविधा हेतु कलेक्शन सेंटर्स, राइपनिंग चेम्बर्स और शीत भवन सुविधायुक्त एकीत पैक हाउस आदि की स्थापना को बढावा दिया जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क. 1.C.3.2	मनरेगा अंतर्गत विकसित फलोद्यानों को फारवर्ड लिंकेज प्रदान करने हेतु प्रस्तावित कार्य आवश्यक है। इससे फलोद्यान विकसित करने वाले पात्र हितग्राहियों को उनकी स्थायी आजीविका को सुदृढ करने में सहायता मिलेगी व योजना के क्रियान्वयन को बढावा मिलेगा।	प्रस्तावित कार्य राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित।

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क्र.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
17	खेत मिट्टी की उर्वरकता को बढाने/पुनः स्थापित करने के लिये प्रमाणीत जैविक खादों के प्रयोग को अधिक बढावा	गोमूत्र से खाद एवं कीटनाशक बनाने को प्रोत्साहन। नीम की कृषि में उपयोगिता को देखते हुए जैविक उत्पादन पर ध्यान।	अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.D.1.2	मनेरगा अंतर्गत कृषि संबंधित कार्य संवर्ग 10a, 10b, 10c तहत नाडेप कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिग, लिक्विड बायोमेन्युअर हेतु इकाई स्थापना पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर अनुमत है।	मनरेगा के अलावा प्रस्तावित कार्य किसान कल्याण एवं कृषि विभाग व उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में लिये जा रहे है। उक्त विभागों के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित।
18	उद्यानिकी फसलों के लिये कम लागत वाली वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों को बढावा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.D.1.3	मनरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के यहां कार्य कराया जा सकता है।	उद्यानिकी विभाग से कम लागत की वर्मी कम्पोस्ट इकाई की डिजाइन तैयार कराया जाना प्रस्तावित है।
19	भण्डारण क्षमता में 150 लाख एमटी तक का विस्तार। इसमें से कम से कम 110 लाख एमटी निजी क्षेत्र और 40 लाख एमटी शासकीय क्षेत्र में रहेगें।	राज्य में चिन्हित प्रत्येक क्लस्टर में 1,00,000 मैट्रिक टन तक की वार्षिक क्षमता की कलेक्शन सेंटर की स्थापना।	अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.E.2.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने हेतु गोदाम निर्माण का कार्य मनरेगा अंतर्गत अनुमत है। सहकारिता विभाग के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 14000 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत अनाज भंडारण हेतु 100 मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के निर्देश तैयार किये जावे।	
20	सबसे गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने हेतु व्यवस्थित कुक्कुट पालन और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन को बढावा दिया जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.G.1.9	मनरेगा अंतर्गत पशुपालन संबंधी कार्य संवर्ग 11a, 11b, 11c 11d में मुर्गी, बकरी, मवेशी एवं पूरक आहार बनाये जाने का प्रावधान है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
21	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविध विषयों यथा डेयरी, पशु प्रबंन्धन, चारा उत्पादन, सूखे चारे की पौष्टिकता को यूरिया से बेहतर बनाया जाना, कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिकता चिकित्सा आदि को विस्तारपूर्वक समाहित किया जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.G.3.3	चारा उत्पादन की गतिविधि मनरेगा अंतर्गत अनुमत है।	
22	मौजूदा जल क्षेत्र का 100 % मत्स्य उत्पादन के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.H.1.1	मत्स्य पालन हेतु मनरेगा अंतर्गत पोंड लघु तालाब का निर्माण अनुमत है।	
23	लगभग 4000 हेक्टे. नये क्षेत्र को मलबरी रेशम उत्पादन से जोडा जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.I.1.1	मनरेगा अंतर्गत रेशम उपयोजना प्रचलित है।	
24	रेशम उत्पादन क्षमता वाले 5 नये क्लस्टर्स को विकसित किया जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.I.1.2	रेशम विभाग द्वारा प्रस्तावित क्लस्टर विकसित किये जाने से रेशम उपयोजना के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिलेगा।	
25	टसर कीट पालन के वर्तमान वन क्षेत्र 25000 हेक्टे. को बढाकर 40000 हेक्टे. किया जायेगा।		अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.I.2.1	मनरेगा अंतर्गत वन्या उपयोजना प्रचलित है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
26	माध्यमिक स्कूल स्तर पर बालिकाओं के नामांकन और निरंतरता का सतत् प्रयास प्रत्येक बसाहट के पांच किमी की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल में बालिकाओं के लिये सुविधा का विस्तार। सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिये शौचालय एवं पेयजल सुविधा की अनिवार्यता।		अध्याय 2 – शिक्षा बिन्दु क. 2.A.3.2	मनरेगा अंतर्गत Rural Sanitation कार्य संवर्ग 15b अंतर्गत स्कूलों में शौचालय बनाये जाना अनुमत है। मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान की राशि के अभिसरण से स्कूलों में बालक–बालिकाओं के पृथक–पृथक शौचालय बनाये जाने के निर्देश है।	
27	आंगनवाडी एवं प्राथमिक विद्यालयों में खेल अधोसंरचना का विस्तार करना		अध्याय 2 – शिक्षा बिन्दु क. 2.A.4.4	मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किये जाने हेतु ग्रामीण क्रीडांगण उपयोजना लागू है।	
28	महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के विषय में साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढाना तथा आवश्यक योजनाओं की पहचान करना		अध्याय 4 – महिला सशक्तिकरण बिन्दु क. 4.2.1	मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्यो में न्यूनतम एक तिहाई महिलाओं को कार्य में लगाये जाने का प्रावधान है।	
29	आजीविका और स्वरोजगार को बढावा देने हेतु महिलाओं के स्व–सहायता समूह तंत्र का विस्तार और व्यवसायिक तंत्रों की अगली और पिछली कडियों में समन्वय स्थापित करना।		अध्याय 4 – महिला सशक्तिकरण बिन्दु क. 4.2.2	मनरेगा अंतर्गत सामुदायिक वृक्षारोपण के रखरखाव के संचालन में महिलाओं के स्व–सहायता समूहों को ग्राम पंचायत के साथ अनुबंध कर स्व–रोजगार दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
30	आदिवासी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास की अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करने हेत, संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।		अध्याय 5 – कौशल विकास बिन्दु क. 5.1.3	आदिवासी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास की अतिरिक्त सुविधा संबंधित विभाग द्वारा दिये जाने पर मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आदिवासी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग मनरेगा के लक्षित वर्ग में शामिल है।	
31	सम्प्रेषण हुनर, कार्य कौशल और व्यक्तित्व विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सभी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेश।		अध्याय 5 – कौशल विकास बिन्दु क. 5.4.2	प्रस्तावित कार्य मनरेगा अंतर्गत अधोसंरचना के कार्य यथा पंचायत भवन, आंगनवाडी, गोदाम निर्माण, सीसी रोड, शौचालय इकाईयां जैसे कार्य शामिल होने से कुशल श्रमिको की पूर्ति में सहायता मिलेगी।	
32	राज्य भर से विभिन्न उद्योगों में 5,00,000 युवा उद्यमियों की पहचान और प्रशिक्षण। साथ ही साथ उन्हें वित्तीय, ब्रैडिग और मार्केटिंग सहायता की उपलब्धता		अध्याय 5 – कौशल विकास बिन्दु क. 5.4.3		
33	शिल्पियों एवं बुनकरों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हेतु उनके पारंपरिक कौशल का मूल्यांकन पश्चात औपचारिक प्रमाणीकरण		अध्याय 5 – कौशल विकास बिन्दु क. 5.4.4		
34	लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों और मार्केट लिकंज के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भूमिहीन और वंचित समूहों का क्षमता निर्माण		अध्याय 6 – समावेशी विकास क. 6.1		

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
35	भूमिरहित और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे सूक्ष्म उद्योग में अवस्थापना की दिशा में स्व–सहायता समूहों का सशक्तिकरण, विस्तार एवं इनकी गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।		अध्याय 6 – समावेशी विकास क. 6.1.1	मनरेगा अंतर्गत सामुदायिक वृक्षारोपण के रखरखाव के संचालन में महिलाओं के स्व–सहायता समूहों को ग्राम पंचायत के साथ अनुबंध कर स्व–रोजगार दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।	
36	स्थानीय अर्थव्यवस्था की मांग और आवश्यकता अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण मॉडयूल्स की पहचान एवं उनका सूत्रपात		अध्याय 6 – समावेशी विकास क. 6.1.3		तकनीकी शिक्षा
37	प्रतिकूल परिस्थिति वाले औसत भूमिहर समूहों की आय में उत्पादकता और उनके उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार द्वारा वृद्धि		अध्याय 6 – समावेशी विकास क. 6.12	मनरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को सिंचाई सुविधा, भूमि विकास तथा कृषि आधारित कार्य जैसे नाडेप निर्माण वर्मी कम्पोस्ट तथा पशुधन विकास के तहत शेड निर्माण	
38	औसत से कम भूमिहर समूहों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों और क्लस्टर्स हेतु विशेष कार्यक्रमों के सृजन के उद्देश्य से उनकी पहचान।		अध्याय 6 – समावेशी विकास क. 6.2.1	मनरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को सिंचाई सुविधा, भूमि विकास तथा कृषि आधारित कार्य जैसे नाडेप निर्माण वर्मी कम्पोस्ट तथा पशुधन विकास के तहत शेड निर्माण	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
39	ऐसे समूहों को उत्पादन जीवन चक्र की समस्त अवस्था में मदद एवं विभिन्न पहलुओं, जिनमें आदानों के प्रदाय, सुझाव, मूल्य संवर्धन हेतु तकनीकी सहयोग एवं मार्केटिंग सहयोग उपलब्ध कराने हेतु समन्वय मंच की स्थापना		अध्याय 6 – समावेशी विकास क्र. 6.2.2		किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
40	बच्चों को पूरक पोषण, आवश्यक स्वास्थय देखभाल और प्राथमिक शिक्षा जैसी मूलभूत सेवायें प्रदान करने हेतु विस्तृत पैकेजों का समुचित उपयोग करना		अध्याय 6 – समावेशी विकास क्र. 6.3.5	मूलभूत सेवा हेतु मनरेगा अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्र निर्माण का कार्य अनुमत। मनरेगा, बीआरजीएफ, आईएपी एवं महिला एवं बाल विकास के अभिसरण से क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी।	महिला एवं बाल विकास
41	शिक्षा, स्वास्थय और आजीविका के क्षेत्र में आवश्यक क्षेत्रों को पहचानना और अंतराल भरने के कार्य को सुगम बनाने के लिये विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता देना और इन विभागों के हितग्राहियों को योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाने के योग्य बनाना।		अध्याय 6 – समावेशी विकास क्र. 6.4.1	ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की आजीविका सुदृढीकरण करने हेतु उनकी निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, भूमि विकास तथा कृषि आधारित कार्य जैसे नाडेप निर्माण वर्मी कम्पोस्ट तथा पशुधन विकास के तहत शेड निर्माण	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
42	अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों में प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के अनुपूरण हेतु सामाजिक कल्याण, आदिवासी कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों का मूल्यांकन और पुर्नगठन करना। इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रतिकूल परिस्थिति समुदायों की क्षमता में सुधार करना।		अध्याय 6 – समावेशी विकास क. 6.4.2	मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढीकरण हेतु कार्यो का संपादन ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, रेशम विभाग, के अभिसरण से किये जाते है।	
43	सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी गांवों तक सडक की पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति		अध्याय 8 – सडके, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा क. 8.A.2	मनरेगा अंतर्गत **सुदूर ग्रामीण संपर्क एवं खेत सडक योजना** के निर्देश विभागीय कार्यक्रमों के अभिसरण से कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है।	
44	बारहमासी सडकों के द्वारा वर्ष भर सभी गांवों के लिये सम्पर्क	मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना।	अध्याय 8 – सडके, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा क. 8.A.2.1	मनरेगा के अभिसरण से मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।	
45	निस्तार पत्रक/वाजिबुलअर्ज में सूचीबद्ध खेत–सडकों का बारहमासी ग्रेवल सडको में उन्नयन एवं खसरा में आवश्यक प्रविष्टियां		अध्याय 8 – सडके, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा क. 8.A.2.4	सुदूर ग्रामीण संपर्क एवं खेत सडक योजना के तहत ग्रेवल सडकों के निर्माण के निर्देश जारी किये गये है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
46	पक्के आवास की उपलब्धता का विस्तार		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.1	ग्रामीण क्षेत्र में विभागीय कार्यक्रमों इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत कार्यवाही जारी है।	
47	विभिन्न योजनाओं के तहत न्यूनतम 10 लाख घरों का निर्माण	मुख्यमंत्री ग्रामीण आश्रय योजना। गांवों में भवनहीन कृषि मजदूरों एवं किसानों को विभिन्न योजनाएं एकीकृत कर राज्य शासन के वित्तीय सहयोग से 10 लाख घर।	अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.1.1	ग्रामीण क्षेत्र में विभागीय कार्यक्रमों इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत कार्यवाही जारी है।	
48	'आबादी' भूमि पर रहने वाले हर ग्रामीण घर को स्वत्व लेख (Title Deed) प्रदान करना		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.1.2	–	राजस्व विभाग
49	स्थानीय युवाओं को शामिल कर निर्माण केन्द्रों को सुदृढ करना ताकि सस्ती निर्माण सामग्री उपलब्ध हो एवं रोजगार के नवीन अवसर सृजित हों।		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.1.3		तकनीकी शिक्षा (आईटीआई)
50	नागरिक अधोसरंचना में सुधार		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2	मनरेगा अंतर्गत अधोसंरचना के कार्य यथा पंचायत भवन, आंगनवाडी, गोदाम निर्माण, सीसी रोड, शौचालय इकाईया, बारहमासी सडक संपर्क जैसे कार्य अनुमत है।	महिला एवं बाल विकास, सहकारिता विभाग
51	आंतरिक सडक एवं जल निकासी में सुधार		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2.1	ग्रामीण क्षेत्र में पंचपरमेश्वर के अभिसरण से आतंरिक सीमेन्ट कांक्रीट सडक मय नाली निर्माण कराये जा रहे।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
52	पंच परमेश्वर योजना के तहत जल निकासी एवं सर्विस डक्ट सहित आंतरिक सीसी सडकों का निर्माण किया जायेगा। कम से कम 75 प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2.1.1	ग्रामीण क्षेत्र में पंचपरमेश्वर के अभिसरण से आतंरिक सीमेन्ट कांक्रीट सडक मय नाली निर्माण कराये जा रहे।	
53	स्वच्छता सुविधाओं की सुनिश्चित उपलब्धता		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2.2	मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से घरेलु शौचालय निर्माण, विद्यालयों में शौचालय इकाईयां तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराये जाने के निर्देश जारी है।	
54	नल जल सप्लाई से जुडे सभी ग्रामों को वर्ष 2018 तक मर्यादा अभियान की रणनीति अपनाते हुये खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाना।		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2.2.1	ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से मर्यादा अभियान संचालित है।	
55	पांच हजार तक या इससे ऊपर की आबादी वाले गांवों को बसाहटों में समग्र अपशिष्ट निपटान प्रणाली योजना बनाकर क्रियान्वित की जायेगी।		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2.2.2	मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराये जाने के निर्देश जारी है। प्रथम चरण में 10000 से अधिक जनसंख्या वाले 31 ग्राम चिन्हित किये गये है।	
56	ग्रामीण आबादी से बहने वाले अपशिष्ट एवं अधिशेष जल के निपटान के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेगें।		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2.2.3	–	प्रदूषण नियंत्रण मंडल

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
57	ग्रामों में सार्वजनिक सेवा प्रदाय में सुधार		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.3	पंचायत विभाग द्वारा ई–पंचायत के माध्यम से सार्वजनिक सेवा प्रदाय में सुधार हेतु कार्यवाही प्रचलित है।	
58	नागरिक सेवाओं की पहचान, विशेषतः स्वच्छता एवं मैला निपटान एवं ग्राम पंचायत को यह सेवायें प्रदान करने हेतु अधिकार एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.3.1	ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से मर्यादा अभियान संचालित है।	
59	'पंचायत अधिनियम'तथा उसके नियमों एवं प्रावधानों की समीक्षा करना ताकि ग्राम पंचायतों के लिये सार्वजनिक कार्य अनिवार्य हो।		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.3.2		
60	ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रह का चिन्हिकरण एवं प्रोत्साहन				
61	ग्रामीण प्रशासन का सुदृढीकरण एवं ग्रामीण अधोसंरचना का वित्त पोषण				
62	पंचायत संचालनालय की समीक्षा एवं सुदृढीकरण किया जायेगा ताकि ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान को नियंत्रित एवं संचालित किया जाये				

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
63	ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदाय की जा रही सार्वजनिक सुविधाओं के नियंत्रण हेतु पंचायतों के कार्यो की समीक्षा एवं सुदृढीकरण				
64	ग्राम पंचायतों में अधोसरंचना निर्माण एवं रखरखाव के लिये फिसकल डिसीप्लिन हेतु वित्तीय साधनों का विस्तार		अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क. 11.4.3	मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं अन्य योजनाओं से निर्मित सार्वजनिक परिसम्पतियां जो योजना में अनुमत है, का संधारण प्रावधानित है।	
65	ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं उद्योग विभाग के लिये प्रयासों का एकीकरण करना ताकि डिजाइन, कच्चे माल, बाजार एवं वित्त के लिये समान मंच निर्मित कर व्यक्तिगत उद्यमियों एवं स्व–सहायता समूहों के लाभ के प्रवाह को उच्चतम स्तर तक ले जाया सके।		अध्याय 12 – रोजगार सृजन एवं निवेश को प्रोत्साहन	संचालक, ग्रामीण रोजगार से संबंधित	
66	युवा उद्यमशीलता को प्रोत्साहन		अध्याय 12 – रोजगार सृजन एवं निवेश को प्रोत्साहन क.	संचालक, ग्रामीण रोजगार से संबंधित	
67	गुणवत्ता के लिये भू–जल स्त्रोतों का सरंक्षण		अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.1	संचालक, आरजीएम से संबंधित	
68	नदियों के उद्गम स्थानों एवं जल संग्रह क्षेत्रों के सरंक्षण के प्रयास		अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.1.4	संचालक, आरजीएम से संबंधित	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
69	किसानों की भूमि पर इमारती लकडी, जलाऊ लकडी एवं चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये उभरते कृषि वानिकी क्षेत्र में प्रयासों का विस्तार		अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.3.1	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग 4n में निजी पडत भूमि पर वृक्षारोपण की गतिविधि एवं 4e में उद्यानिकी वृक्षारोपण अनुमत है।	
70	बंजर भूमि तथा खुले मैदानों को कृषि योग्य बनाने हेतु सामाजिक वानिकी का सुदृढीकरण		अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.3.2	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग 6b में बंजर भूमि का विकास की गतिविधि अनुमत है।	
71	वृक्ष आच्छादन का विस्तार एवं वन्य जीवन संरक्षण		अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.4	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग 2f में सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण अनुमत है।	
72	बिगडे वन क्षेत्रों में वृक्ष सघनता में वृद्धि	वनवासी युवकों की वन संरक्षण व वृक्षारोपण में भागीदारी।	अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.4.1	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग 2f में सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण अनुमत है।	
73	गैर वन क्षेत्रों के साथ बंजर भूमि, बीहड, नहरों के किनारे एवं परित्यक्त खनन स्थलों पर वृक्ष आच्छादन में वृद्धि		अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.4.2	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग 2f में सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण अनुमत है।	
74	भू–जल स्त्रोतों का पुनर्रूद्धार	पुराने जल स्त्रोतों का पुनर्जीवन।	अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.5	मनरेगा के नवीन निर्देश कार्य संवर्ग 2a में परम्परागत भू–जल सरंचनाओं का पुनर्रूद्धार अनुमत है।	
75	स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा समुचित मूल्य निर्धारण तंत्र के जरिये भूमिगत जल एवं सतही जल का सिंचाई के लिये संयोजित उपयोग		अध्याय 13 – पर्यावरण प्रबंधन क. 13.5.4	सतही जल के सिंचाई के लिये संयोजित उपयोग हेतु सहस्त्र धारा उपयोजना प्रचलित है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
76	ईकों तथा एडवेंचर टूरिज्म को बढावा	मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में बांध एवं जलाशल मौजूद हैं, इनके आसपास पर्यटन अधोसंरचना विकसित की जायेगी ताकि जल पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके।	अध्याय 15 – संस्कृति, विरासत और पर्यटन क. 15.8	ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने हेतु पर्यटन विकास निगम के अभिसरण से स्थल चिन्हित किये जाने वाले कार्य प्रचलित है।	पर्यटन विकास निगम
77	संरक्षित वन क्षेत्रों के आस–पास ईकों एवं एडवेंचर टूरिज्म को बढावा देने के साथ, इन गतिविधियों को प्रमुख और सैटलाइट पर्यटक परिपथों पर विकसित करना।		अध्याय 15 – संस्कृति, विरासत और पर्यटन क. 15.8	ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने हेतु पर्यटन विकास निगम के अभिसरण से स्थल चिन्हित किये जाने वाले कार्य प्रचलित है।	
78	एक समेकित पोर्टल, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक सेवायें (जिनमें ई–डिस्ट्रिक, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आदि के तहत प्रस्तावित सेवायें शामिल है) जैसे कल्याण योजना भुगतान को आनलाईन प्रस्तावित किया जायेगा।		अध्याय 16 – सुशासन क. 16.4.4	मनरेगा का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2013 से ई–एफएमएस प्रणाली के माध्यम से।	
79	सभी विभागों द्वारा ई–गर्वनेंस प्लान अनिवार्यतः बनाया जायेगा।		अध्याय 16 – सुशासन क. 16.5	मनरेगा में ई–गर्वनेंस प्लान दि. 01.04.2013 से लागू है।	
80	सरकारी कार्य संचालन में दक्षता को प्रोत्साहन		अध्याय 16 – सुशासन क. 16.5.	दक्षता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
81	पेपरलेस आफिस वातावरण को बढावा दिया जायेगा और सरकारी कार्यालयों के अन्दर दक्षता सुधारने हेतु प्रोसेस री–इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। शासकीय सेवा में सुधार हेतु फाइल प्रबन्धन, ज्ञान प्रबन्धन, कर्मचारी जानकारी, और सूचना सेवायों ई–आफिस प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेंगी।		अध्याय 16 – सुशासन क्र. 16.5.1	मनरेगा का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2013 से ई–एफएमएस प्रणाली के माध्यम से विभागीय निर्देशों को ई–मेल, ई–एफएमएस, बल्क एसएमएस, फेसबुक के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।	
82	सभी विभागीय अधिनियमों, नीतियों और नियमों के प्रावधानों की अतिरेकता को पहचानने के लिये प्रयास करने की व्यवस्था लागू की जायेगी। इनके सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाएंगे		अध्याय 16 – सुशासन क्र. 16.5.2	आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	
83	सरकारी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण		अध्याय 16 – सुशासन क्र. 16.6	विभागीय अमले एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों हेतु सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है।	
84	पारदर्शी और सहभागी शासन को बढावा		अध्याय 16 – सुशासन क्र. 16.7	पारदर्शी एवं सहभागी तरीके से आयोजना एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।	

क्र.	विकास की गतिविधि	जन संकल्प 2013	दृष्टिपत्र 2018 में प्रस्तावित सेक्टर व बिन्दु क.	मनरेगा योजना के निर्देश	अन्य विभागों से अभिसरण
85	डाटा को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में सक्रिय रूप से उपलब्ध कराने हेतु मुक्त डाटा पालिसी और जन अभिलेख कार्यालय का गठन		अध्याय 16 – सुशासन क्र. 16.7.1	भारत सरकार द्वारा तैयार नरेगा साफ्ट में योजना से संबंधित समस्त डाटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।	